न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023 / 147 **दायरा दिनांक : 18.09.2023**

उनवान

धनराज पुत्र रूपचंद बालिग, जाति मीना, निवासी ग्राम लड़ानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– सुरेश बाई पुत्री श्री दयाराम एवं पत्नी श्री मन्नालाल, जाति मीना, निवासनी हाल ग्राम सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
2– शीना बाई पुत्री श्री दयाराम एवं पत्नी श्री हेमराज, निवासनी हाल ग्राम जावरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
3– बाबू पुत्र श्री द्वारका लाल, जाति मीना
4– भूली बाई बेवा द्वारका लाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
5– मांगीबाई बेवा मांगीलाल, जाति मीना, ग्राम गुवाडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
6– बिरधीलाल पुत्र गोरधन, जाति मीना
7– नैनालाल पुत्र गोरधन, जाति मीना
8– सीताराम पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
9– मुकेश कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
10– हरिराम पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
11– रोहित कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
12– बृजराज पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
13– राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
14– जसोदा बाई पुत्री श्रीलाल पत्नी जुगराज, जाति मीना, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
15– बद्री बाई बेवा श्रीलाल, जाति मीना,
16– रामचन्द्र पुत्र गोविंदा, जाति मीना,
17– छोटे लाल पुत्र गोविंदा, जाति मीना
18– बद्रीलाल पुत्र गोविंदा, जाति मीना
19– सत्यनारायण पुत्र रूपचंद, जाति मीना
20– राममूर्ति पुत्री रूपचंद, जाति मीना
21– ग्यारसी बाई पुत्री रूपचंद, जाति मीना
22– रामप्रसाद पुत्र रूपचंद, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
23– नटी बाई पुत्री माधो पत्नि मोहन, जाति मीना, निवासी काकडदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
24– धनराज पुत्र रूपचंद, जाति मीना
25– रतनलाल पुत्र हीरालाल, जाति मीना
26– जगदीश प्रसाद पुत्र कजोडी लाल, जाति मीना
27– सेन्टर पुत्र कजोडी लाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
28– रमेश बाई पुत्री कजोडी लाल पत्नी रत्तीराम, जाति मीना, निवासी ग्राम अमृत कुआ, तहसील सांगोद, जिला कोटा
29– मन्जू बाई पुत्री कजोडी लाल पत्नी कालू, जाति मीना, निवासी ग्राम कालारेवा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
30– काली बाई बेवा कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
31– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान
32– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान जरिये प्रबन्धक

.... रेस्पोडेंट

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रघुवीर गौड अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

दिनांक : 18.06.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 966/दावा/2017. निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर के माल में खाता संख्या नया 52 पुराना 57 के खसरा नं. 198 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 206 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 235 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा कुल 3 किता की 17 बीघा 3 बिस्वा आराजी व खाता संख्या नया 53 व पुराना 59 ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर के खसरा नं. 11 रकबा 17 बीघा, खसरा नं. 31 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 41 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 47 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 188 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 209 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 212 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 213 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 217 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नं. 218 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 219 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 230 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 231 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा कुल 13 किता की 93 बीघा आराजी स्थित है जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय एवं अंतिम डिकी दिनांक 04.07.2023 से तहसीलदार खानपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर के खाता संख्या नया 52 पुराना 57 की 3 किता की 2.7762 हेक्टर आराजी में से वादीगण का हिस्सा 1/24, 1/24 व खाता संख्या नया 53 पुराना 59 की 11 किता की 14.0263 हेक्टर आराजी में से वादीगण का हिस्सा 3/64, 3/64 हिस्सों का विभाजन किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का डिकी निर्णय दिनांक 04.07.2023 आर्बिट्रेरी, केप्रिसियस, परवर्स है तथा कानून के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में यह स्थिति बखूबी स्पष्ट हो चुकी थी कि रेस्पोडेंट कम 1 व 2 मीना जाति की महिलायें हैं तथा विवाहित है और मीना जाति की महिलाओं को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी सम्पत्ति में से कोई हक नहीं दिलाया जा सकता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई गौर किये बिना ही डिकी व निर्णय दिनांक 04.07.2023 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित विभाजन नियमों व अनुसरण की पालना किये बिना ही डिकी व निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के पिता दयाराम ने उपरोक्त सम्पत्ति को अपने जीवनकाल में अपीलांट की माता जगन्नाथी पत्नी रूपचंद को वर्तमान प्रचलन के अनुसार जरिये इकरारनामा दिनांक 20. 06.2012 को बेचान करके कब्जा संभला दिया था और जब सम्पत्ति का बेचान कर दिया गया तो ऐसे में उपरोक्त सम्पत्ति के संबंध में विभाजन की डिकी पारित नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना ही उपरोक्त आलेखित निर्णय व डिकी पारित किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी गैर कानूनी निर्णय व डिकी की पालना नहीं करवायी जा सकती, इसलिए न्यायहित में अध्कीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डकी को निरस्त फरमाया जावे। उपरोक्त प्रकरण में रेस्पोडेंट नं. 3 लगायत 27 को फोरमा पक्षकार होने के कारण इस अपील में पक्षकार बनाया गया है लेकिन उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 04.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 04.07.2023 का है जिसकी अपील करने बाबत हमने अपील पर हस्ताक्षर करके अपने स्थायी अधिवक्ता खानपुर को दे दी थी, लेकिन उन्होंने सहवन से उपरोक्त

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं की, इसलिए अपील अधिवक्ता की सहवन से पेश करने में हुई डिले सदभाविक है जिसे कण्डोन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुत्रियों को मीना जाति में होने के इन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में हमे नहीं सुना गया। अतः प्रस्तुत अपील ही हमारी बहस है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि प्रार्थिया/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 में दावा प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पर्याप्त सुनवाई कर साक्ष्य व मेरिट पर निर्णय पारित किया है। मीना जाति में पुत्रियों के नाम भी जमीन आ सकती है लेकिन वह उनका बेचान नहीं कर सकती। हम आराजी का बेचान नहीं कर रहे। इकरारनामे के आधार पर सिविल न्यायालय में पेश होना चाहिए अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हो तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि पक्षकार मीना जाति के होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। हमारे द्वारा अपीलांट के काउण्टर क्लेम का अवलोकन किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त काउण्टर क्लेम में मीना जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने का कोई कथन नहीं किया गया। अतः अपीलांट का यह कथन अपील के स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जो तथ्य जवाब-दावे/ काउण्टर क्लेम में प्रस्तुत नहीं किये उनकी उज्रदारी अपील के स्तर पर नहीं की जा सकती ।

अपीलांट द्वारा कथन किया कि हमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा जवाब-दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया गया है तथा साक्ष्य प्रतिवादी भी अपीलांट- प्रतिवादी द्वारा लिखित में साक्ष्य पेश करने से मना करने पर ही बन्द की गयी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर तनकीवार विधिपूर्वक निर्णय पारित किया गया। अपीलांट इकरारानामे से विवादित आराजी कय करना व्यक्त करता हैं। अपीलांट द्वारा उक्त इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया । यदि इस प्रकार का कोई इकरारनामा अपीलांट के पास हो तो भी राजस्व न्यायालय से इस आधार पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता । अपीलांट को इस बाबत् सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए।

हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समस्त पक्षकारान को सुनकर, साक्ष्य का अवसर देकर तनकीवार पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विधिक दोष प्रकट नहीं होता है। अपीलांट अपील के तथ्य को सावित करने में पूर्णतया असफल रहने से अपील अपीलांट खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2023 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/06/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

धनराज पुत्र रूपचंद बालिग, जाति मीना, निवासी ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

..........**अपीलान्ट्स**

बनाम

1– सुरेश बाई पुत्री श्री दयाराम एवं पत्नी श्री मन्नालाल, जाति मीना, निवासनी हाल ग्राम सेवनी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– शीना बाई पुत्री श्री दयाराम एवं पत्नी श्री हेमराज, निवासनी हाल ग्राम जाबरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

3– बाबू पुत्र श्री द्वारका लाल, जाति मीना

4– भूली बाई बेवा द्वारका लाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5– मांगीबाई बेवा मांगीलाल, जाति मीना, ग्राम गुवाडी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

6– विरधीलाल पुत्र गोरधन, जाति मीना 7– नैनालाल पुत्र गोरधन, जाति मीना

8– सीताराम पुत्र श्रीलाल, जाति मीना 9– मुकेश कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना

10– हरिराम पुत्र श्रीलाल, जाति मीना 11– रोहित कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना

12– बृजराज पुत्र श्रीलाल, जाति मीना 13– राजेन्द्र कुमार पुत्र श्रीलाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

14– जसोदा बाई पुत्री श्रीलाल पत्नी जुगराज, जाति मीना, निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

15– बद्री बाई बेवा श्रीलाल, जाति मीना, 16– रामचन्द्र पुत्र गोविंदा, जाति मीना,

17– छोटे लाल पुत्र गोविंदा, जाति मीना 18– बद्रीलाल पुत्र गोविंदा, जाति मीना

19– सत्यनारायण पुत्र रूपचंद, जाति मीना 20– राममूर्ति पुत्री रूपचंद, जाति मीना

21– ग्यारसी बाई पुत्री रूपचंद, जाति मीना 22– रामप्रसाद पुत्र रूपचंद, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

23– नटी बाई पुत्री माधो पत्नि मोहन, जाति मीना, निवासी काकडदा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

24– धनराज पुत्र रूपचंद, जाति मीना

25– रतनलाल पुत्र हीरालाल, जाति मीना

26– जगदीश प्रसाद पुत्र कजोडी लाल, जाति मीना

27– सेन्टर पुत्र कजोडी लाल, जाति मीना
निवासीगण ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

28– रमेश बाई पुत्री कजोडी लाल पत्नी रत्तीराम, जाति मीना, निवासी ग्राम अमृत कुआ, तहसील सांगोद, जिला कोटा

29– मन्जू बाई पुत्री कजोडी लाल पत्नी कालू, जाति मीना, निवासी ग्राम कालारेवा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

30– काली बाई बेवा कजोडी लाल, जाति मीना, निवासी ग्राम लडानिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

31– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान

32– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राजस्थान जरिये प्रबन्धक

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 2023 / 147 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**

मु.द.नं0 966 / दावा / 2017 निर्णय व डिक्री दिनांक – 04.07.2023

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **20** माह **05** सन् **2024**

हाजरी **श्री अशोक कुमार गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट की ओर से एवं **श्री रघुवीर गौड** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से अभिभाषक मिनजानिब, शेष रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 04.07.2023 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **18** माह **06** सन् **2024** को जारी किया गया ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)